वेबसाइट : www.abvp.org पंजिकृत क्रमांक : S-385/1949-50

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय– 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.
दूरभाष :(022) 24306321 / 24378866 फैक्स :24313938 ई–मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक: 21 फरवरी 2022

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए माननीय न्यायालय का धन्यवाद : अभाविप

तमिलनाडु सरकार द्वारा संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर जेल में डाली गयीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी, राष्ट्रीय मंत्री श्री मुथु रामलिंगम व श्री हरीकृष्णा नागोथू सहित सभी 32 कार्यकर्ताओं को आज मानयीय न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री आवास के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन मामले में ज़मानत दिये जाने का स्वागत करती है।

विदित हो कि तमिलनाडु के तंजावुर जिले के सेक्रेड हर्ट्स स्कूल में मतान्तरण के दबाव के कारण आत्महत्या करने वाली छात्रा लावण्या के न्याय के लिए अभाविप पूरे देश में, राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही थी। जिसके बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आवास के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान उनके समेत 31 अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री कु. प्रेरणा पवार ने कहा,"सरकार के इस तानाशाही रवैये के विरुद्ध माननीय न्यायालय का निर्णय दूरगामी रहने वाला है। लावण्या की लड़ाई को इंसाफ तक ले जाने के लिए अभाविप प्रतिबद्ध है।"

अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री श्री राकेश दास ने कहा, "सांप्रदायिक तुष्टिकरण में प्रणीत डीएमके सरकार के हर अत्याचारी कदम के बाद लावण्या के न्याय की माँग और प्रबल एवं दृढ़-संकल्पित होती जा रही है। लावण्या के लिए न्याय की मांग को हम और पुरजोर तरीके से उठाएंगे और पूरे देश की युवा तरुणाई बहन लावण्या के दोषियों को सज़ा दिलाकर ही दम लेगी।"

(यह प्रेस विज्ञप्ति केंद्रीय कार्यालय मंत्री सुमित पाण्डेय द्वारा जारी की गई है।)